मराठी साहित्य अकादमी

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल

भास्कर रामचन्द्र ताम्बे पुरस्कार कृति आमंत्रण

(कैलेण्डर वर्ष 2014 एवं 2015 में प्रकाशित कृतियों पर)

अकादमी द्वारा मराठी साहित्य के उन्नयन एवं विकास के उद्देश्य से 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2015 के मध्य मध्यप्रदेश के साहित्यकारों से मराठी में मुद्रित/प्रकाशित पुस्तकें (तीन-तीन प्रतियों में) आमंत्रित की जाती हैं। 1. मराठी कविता एवं नाट्य लेखन तथा 2. मराठी कहानी एवं कादम्बरी (उपन्यास) प्रत्येक प्रशस्ति पत्र सहित रूपये 51,000/-(रूपये इक्कावन हजार केवल)। पुरस्कार हेतु अन्य भारतीय भाषाओं से मराठी में अनुदित कृतियां भी स्वीकार्य होंगी।

अंतिम तिथि 10 जनवरी 2017 सायं 5.00 बजे तक। नियम एवं शर्तों हेतु सम्पर्क :- निदेशक, मराठी साहित्य अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल-462003 फोन :- 0755-2773111, 09425056423

Web : www.culturemp.in E-mail : marathiacademy@gmail.com

मराठी साहित्य अकादमी

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्

रवीन्द्रनाथ टैगौर मार्ग, बाणगंगा रोड, भोपाल–462003
दूरभाष : 0755. 2773111 ई–मेल marathiacademy@gmail.com

प्रकाशित कृतियों के लिए पुरस्कार के नियम एवं शर्ते

– भास्कर रामचन्द्र ताम्बे पुरस्कार मराठी भाषा के संर्वधन व प्रोत्साहन के लिए दिया जाने वाला मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्थापित मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् की मराठी साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ कृति पुरस्कार है।

– अकादमी की कृति पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2015 (दो कैलेण्डर वर्ष) के बीच में प्रकाशित पुस्तक के प्रथम संस्करण हेतु विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि तक शामिल की जा सकेंगी। सम्मिलित की गई पुस्तक का प्रथम प्रकाशन ही मान्य होगा, पश्चातवर्ती संस्करण मान्य नहीं होंगे।

– प्रादेशिक पुरस्कार प्रदेश के लेखक के लिए ही है। प्रदेश के लेखक का अर्थ है– लेखक का जन्म मध्यप्रदेश में हुआ हो या दस वर्षों से प्रदेश में रहते हुए रचनाकर्म किया हो। तत्सबन्धी निवास संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक है।

– प्रादेशिक रचनाकार अपनी कृति प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय सम्मान दोनों के लिए भेज सकते हैं।

– किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भेजी गई पुस्तक पर लेखक/उत्तराधिकारी/प्रकाशक की लिखित सहमति अनिवार्य है।

– पुरस्कार के लिए सिर्फ मराठी भाषा में मुद्रित/प्रकाशित पुस्तकें (जिसमें किसी अन्य भारतीय भाषा की अनुदित पुस्तकें भी सम्मिलित हैं) स्वीकार्य होंगी।

– पुरस्कार के लिए प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियॉ प्रस्तुत करना होंगी। जिस पर पुरस्कार विधा का नाम, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पूरा पता, प्रकाशन वर्ष, प्रेषक का नाम, संपर्क नम्बर के साथ हस्ताक्षरयुक्त पर्ची पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर चिपकाना अनिवार्य है।

– पुरस्कार प्रविष्टि के लिए भेजी गईं पुस्तकें किसी भी स्थिति में वापिस नहीं होंगी और न ही क्रय की जाएँगी।

– अकादमी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में पुस्तकें प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक ही पुस्तकें स्वीकार की जावेंगी। डाक की देरी अथवा पुस्तकें खो जाने के लिए अकादमी जिम्मेदार नहीं होगी।

– प्रत्येक पुरस्कार के लिए पृथक्–पृथक पुस्तक की तीन प्रतियाँ भेजनी होंगी। पैकेट पर जिस पुरस्कार के लिए सम्मिलित की गई है उसका नाम अवश्य लिखें। पुस्तकें **निदेशक, मराठी साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, बाणगंगा रोड, भोपाल–462003** के पते पर भेजी जा सकती हैं। अन्य आवश्यक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0755–2773111 पर कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

– अकादमी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में दी गई तिथि के अंतर्गत पुस्तकें सीधे कार्यालय में भी प्रस्तुत की जा सकेंगी, इसके पूर्व एवं बाद में स्वीकार्य नहीं होंगीं।

– मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अधिकारी/कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

– पुरस्कार के सम्बन्ध में **अकादमी का निर्णय अंतिम, सर्वमान्य एवं बंधन कारी होगा।**

– न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति में श्रवणाधिकार भोपाल परिक्षेत्र होगा।

निदेशक
मराठी साहित्य अकादमी